

प्रार्थी श्री श्वेरा बनाम विपक्षी श्री नाथ


कस्म मुकदमा 48/2012 श.वा. प्रकरण संख्या 48/2012

कार्यवाही विवरण

06/02/24

पत्रा. पेश हुई। वकील वादी उपास्थित जिन्हे जाडेर किया कि उक्खण मे डिक्की उमुत्तर पातना से चुकी है। अतः उक्खण मे कार्यवाही रूँप किया जाना फरमावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे डिक्की पातना सेकर शामिल पत्रावली पूर्व मे की गई है। अतः उक्खण मे अब कोई कार्यवाही शेष नही बने से उक्खण फेसल सुमार किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाखिल दफतर हो।

  
सहायक कलक्टर सलुम्बर  
जिला सलुम्बर